

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 10.10.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना रूरा पुलिस द्वारा अ0सं0 307/26 धारा 87/137(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त मनीष राजपूत पुत्र नत्थू निवासी ग्राम काशीपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 112/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त सुरेश पुत्र अक्षय लाल निवासी ग्राम गहैसर थाना दिबियापुर जनपद औरैया को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा अ0सं0 41/20 धारा 323/504/506 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त बल्ली पुत्र बालकराम निवासी वार्ड नं 06 कृष्णा नगर पलिया थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा अ0सं0 237/21 धारा 379/411 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त मन्नी उर्फ छोटे लाल पुत्र छक्की लाल निवासी भड़पुरा थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 335/26 धारा 3(5)/191(2)/191(3)/352/109(1)/324(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रामशंकर पुत्र स्व0 जयनारायण सिंह निवासी बलरामपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त आदर्श शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा निवासी बडागांव थाना शिवली जनपद कानपुर देहात, के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 243/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 32 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रूरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों, थाना रनियां पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना सट्टी पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना अमराहट पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना बरौर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 07 व्यक्तियों व थाना शिवली पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएस के अन्तर्गत चालान किया।